न्यायालय उपखण्ड ~~अधिकारी कठूमर~~ कठूमर जिला अलवर

मिसल नं० 2/305/22

तारीख रुजू

मलखां **बनाम** नसीरखां वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.11.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 149 / 562, वाके ग्राम ईमरतीकावास तहसील कठूमर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करें। यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर बकिल प्रार्थी गण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 24.11.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 24.11.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24/11/22	सुनवाई प्रीसाईडिंग ऑफ़ि०/P.O राहत अन्तिम आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 05/11/23 को को पेश हो।	

गा/२०२४

21/3/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उप० होकर अपने प्रा०पत्र वगैरह कोई नहीं चलाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी को सुना गया व आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वगैरह प्रार्थी के निवेदन के आधार पर अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में मय हुक्म होकर नकलें व अन्य वादि तकमील मूल कार्य के साथ संलग्न रहे। सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भरतपुर) राज.